प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिये)

(साधाराण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

126-भोपालगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधान सभा के लिये निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि –

श्रीमती गीता बरवड़ , पी.एन. 11 गांधी कॉलोनी, भगत की कोठी, पाली रोड़, जोधपुर पिन कोड 342001 जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए की गई है

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन मे स्थान को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थानः जोधपुर तारीखः 03.12.2023

> (नानगाराम चौधरी) रिटर्निग ऑफिसर भोपालगढ़ (126) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भोपीलगढ़

रिटर्निंग अशिकारी विधान सभा भिर्दाचन क्षेत्र भोपालगज-१८० (अजार)

FORM -21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the people Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of the Rajasthan (state) from **126-BHOPALGARH(SC)** Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the PeopleAct, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961

I declare that -

Smt. GEETA BARWAR

P.N. 11, GANDHI COLONY, BHAGAT KI KOTHI, PALIROAD, JODHPUR PIN-342001 (Address) sponsored by **Indian National Congress** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place : Jodhpur Dated 03-12-2023

> (Nangaram Choudhary) Returning Officer 126-BHOPALGARH Sub Divisional Office and Sub Divisional Magistrate RETURNING OFFICER